सत्र समीक्षा

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का षष्ठ सत्र

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का षष्ठ सत्र मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी, 2011 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् ....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2011 राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। सत्र का सत्रावसान दिनांक 29 मार्च, 2011 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
षष्ठ सत्र	15	फरवरी माह - 15, 17,18, 19 एवं 23 मार्च माह - 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22 एवं 23

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

महामहिम राज्यपाल श्री शिवराज वी. पाटील द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2011 को सदन के समक्ष किये गये अभिभाषण की प्रति विधान सभा सचिव ने सदन की मेज पर रखी। दिनांक 17 फरवरी, 2011 को सदस्य डॉ. रघु शर्मा ने राज्यपाल महोदय को धन्यवाद हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन सदस्य श्री अलाउद्दीन आजाद ने किया। प्रस्ताव पर चार दिन तक चर्चा हुई जिसके पश्चात् 23 फरवरी, 2011 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। वाद विवाद में 70 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 17 फरवरी, 2011 को 18; 18 फरवरी, 2011 को 20; 19 फरवरी, 2011 को 24 तथा 23 फरवरी, 2011 को आठ सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के तीन तथा समाजवादी पार्टी के एक सदस्य ने भाग लिया। उक्त चर्चा में सात महिला सदस्यों ने भी भाग लिया जिनमें तीन भारतीय जनता पार्टी तथा चार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्याएं थीं।

विधायक दल के नेता को मान्यता

षष्ठ सत्र में दिनांक 9 मार्च, 2011 को माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से झालरापाटन (जिला झालावाड़) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्रीमती वसुन्धरा राजे को उक्त विधायक दल का नेता चुने जाने पर उन्हें प्रतिपक्ष दल के नेता के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सत्र के दौरान निम्न दो माननीय मंत्रियों ने निम्नांकित विषयों पर सदन में वक्तव्य दिये -

क्र.	मंत्री का नाम	दिनांक	विषय
1.	श्री शांति कुमार धारीवाल गृह मंत्री	18.2.2011	श्री रणवीर पहलवान, सदस्य का नाम पुलिस विभाग की वेबसाइट पर अपराधियों की सूची में फरार घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री एमादुद्दीन अहमद खां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	17.3.2011	जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में संक्रमित ग्लूकोज के कारण प्रसूताओं की मौत के सम्बन्ध में अग्रेत्तर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

सत्र के दौरान दिनांक 17 फरवरी, 2011 को माननीय सदस्य श्री अमीन खान ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया पर कथित टिप्पणी के सम्बन्ध में सदन में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया।

अध्यक्षीय व्यवस्था

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 15 फरवरी, 2011 को श्री शांति कुमार धारीवाल, नगरीय विकास मंत्री द्वारा राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 की प्रति सदन की मेज पर रखे जाते समय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अध्यादेश में नगर निकायों के प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान हटाये जाने के प्रावधान किये गये हैं, इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश दे दिया है, अतः वह शून्य हो गया है, तो उस अध्यादेश को सदन के पटल पर नहीं रख सकते। माननीय अध्यक्ष ने इस पर व्यवस्था देते हुए कहा कि 'अध्यक्ष पद से दिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पृष्ठ संख्या 651 के क्रमांक 91, दिनांक 13 मार्च, 1989 को यह व्यवस्था है कि अध्यादेश को सदन की मेज पर रखने के समय उसकी वैधता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।'

2. दिनांक 17 मार्च, 2011 को सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर सदन द्वारा सहमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मतदान की मांग की गई थी। इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि 'कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर सदन द्वारा सहमति प्रदान किये जाने के पश्चात् मैंने महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2010-11 के दो प्रतिवेदनों को सदन में उपस्थापित किये जाने हेतु श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति का नाम पुकार लिया था। अतः श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर की गई मतदान की मांग को मैं अस्वीकार करता हूँ।'

3. दिनांक 23 मार्च, 2011 को गृह मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाला वक्तव्य/उत्तर आसन की अनुमति से सदन की मेज पर रखा। तत्पश्चात् गृह मंत्री द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2011 को अनुदान की मांग संख्या 16 - गृह पर सरकार की ओर से दिया जाने वाला उत्तर भी सदन की मेज पर रखे जाने हेतु आसन की अनुमति चाहे जाने पर श्री घनश्याम तिवाड़ी ने आपत्ति प्रस्तुत की।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 'अभी भारतीय जनता पार्टी के उप नेता श्री घनश्याम तिवाड़ी ने जो आपत्ति की है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्व के दिन की किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में पत्रादि अगले दिन टेबल करने की परम्परा नहीं रही है। अतः माननीय मंत्री महोदय ने गृह मंत्री की हैसियत से कल की किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई पत्रादि टेबल किये हों , तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, न आसन की स्वीकृति मानी जाये।'

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 155 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 6480 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये । इनमें से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 2946 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 240 तारांकित प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध किये गये । महिला सदस्य श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती किरण माहेश्वरी तथा श्रीमती अनीता सिंह सहित 29 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 40-40 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 6 माननीय सदस्यों ने 39-39 तथा 5 सदस्यों ने 38-38 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 7-7 प्रश्न श्री कालीचरण सराफ, श्री भवानी सिंह राजावत, श्री सुखराम, श्री भगवान सहाय सैनी तथा बाबूलाल खराड़ी के थे । महिला सदस्यों में सर्वाधिक 4 प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी के सूचीबद्ध हुए।

उक्त के अतिरिक्त 3534 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 315 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए। महिला सदस्यों श्रीमती किरण माहेश्वरी तथा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल सहित सर्वश्री ओटाराम देवासी, वासुदेव देवनानी, बनवारी लाल सिंघल, कल्याण सिंह चौहान, बंशीधर खण्डेला, नन्दलाल मीणा, गोविन्द सिंह डोटासरा, अब्दुल सगीर खान, रामहेत सिंह, अमरा राम, छोटूसिंह भाटी तथा डॉ. जसवन्त सिंह यादव ने अधिकतम 60-60 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए अतारांकित प्रश्नों में से सर्वाधिक 9 प्रश्न श्री नन्दलाल मीणा तथा 8 प्रश्न श्री घनश्याम तिवाड़ी के सूचीबद्ध हुए। महिला सदस्यों में सर्वाधिक 5-5 प्रश्न श्रीमती अंजू खन्गवाल तथा श्रीमती जाहिदा खां के प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

प्राप्त प्रश्नों के विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 251 प्रश्न शिक्षा विभाग, 241 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 168-168 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग एवं ऊर्जा, 155 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 154 प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 14-14 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राजस्व, 13 प्रश्न शिक्षा विभाग तथा 12-12 प्रश्न परिवहन, कृषि तथा सहकारिता से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 335 प्रश्न शिक्षा विभाग, 258 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 200 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं 186 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 22-22 प्रश्न शिक्षा विभाग एवं राजस्व विभाग, 21 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, 20 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा 18 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाये तो छठे सत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिये गये 2090 तारांकित प्रश्नों में से 177 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 638 में से 40, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 120 में से 11, निर्दलीय के 42 में से 2, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के 26 में से 5 तथा समाजवादी पार्टी के 19 में से 5 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। जनता दल (यूनाइटेड)के सदस्यों द्वारा दिये गये 11 तारांकित प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हो सका। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिये गये 2465 प्रश्नों में से 193 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 789 में से 93, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 169 में से 12, निर्दलीय के 76 में से 10 तथा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के 26 में से 7 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। जनता दल (यूनाइटेड)के सदस्यों द्वारा दिये गये 9 अतारांकित प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाये तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 364 तारांकित प्रश्नों में से 14 सूचीबद्ध हुए तथा 23 सदस्याओं के 481 अतारांकित प्रश्नों में से 33 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। शेष पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 2582 तारांकित प्रश्नों में से 225 तथा अतारांकित प्रश्नों 3053 में से 282 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 271 तारांकित प्रश्नों में से 12 तथा 348 अतारांकित प्रश्नों में 18 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 93 तारांकित प्रश्नों में से 2 तथा 113 अतारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। निर्दलीय सदस्याओं द्वारा दिये गये 20 अतारांकित प्रश्नों में 5 प्रश्न ही सूचीबद्ध हुए।

दिनांक 17, 18, 22 तथा 23 मार्च, 2011 को व्यवधान तथा सदन में हुई अव्यवस्था के कारण एवं 19 फरवरी, 2011 को शनिवार के कारण प्रश्नकाल नहीं हुआ। सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 37 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई।

स्थगन प्रस्ताव

समीक्ष्य षष्ठ सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 36 माननीय सदस्यों के 100 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई,

इनमें से 7 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई । स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 32 सदस्यों ने 87 प्रस्ताव, माकपा के 3 सदस्यों ने 12 प्रस्ताव तथा एक प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के सदस्य ने प्रस्तुत किया। 5 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी 10 प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये। श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया ने सर्वाधिक 6-6 प्रस्ताव प्रस्तुत किये जबकि महिलाओं में सर्वाधिक चार प्रस्ताव श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ने प्रस्तुत किये। दो सदस्यों ने 5-5, पाँच सदस्यों ने 4-4, आठ सदस्यों ने 3-3, दस सदस्यों ने 2-2 तथा आठ सदस्यों ने एक-एक प्रस्ताव दिया।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 77 माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 115 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 31 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया तथा 84 सूचनाओं को सदन में पढ़ा हुआ माना गया। प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 48 सदस्यों ने 78, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 22 सदस्यों ने 28, माकपा के 3 सदस्यों ने 5, तथा दो निर्दलीय और जनता दल (यूनाइटेड) एवं समाजवादी पार्टी के एक-एक सदस्य ने एक-एक सूचना प्रस्तुत की। प्रस्तुत सूचनाओं में से 22 सूचनाएँ 15 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 10 सदस्याओं ने 16 तथा इनेकां की 5 सदस्याओं ने 6 सूचनाएँ प्रस्तुत की। महिलाओं में सर्वाधिक तीन सूचनाएँ श्रीमती कमसा मेघवाल ने प्रस्तुत की। सूचनाएँ प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में सात सदस्यों द्वारा तीन-तीन, 24 सदस्यों द्वारा दो-दो तथा 46 सदस्यों द्वारा एक-एक सूचना प्रस्तुत की गई।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 18 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 21 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से 7 विषयों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई । विषय उठाने वाले सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी के 12 सदस्यों द्वारा 13 विषय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 सदस्यों ने 7 विषय, माकपा के एक सदस्य द्वारा एक विषय सदन में उठाया गया। महिलाओं में एकमात्र सदस्य श्रीमती किरण माहेश्वरी ने भी एक विषय उठाया। सर्वाधिक तीन विषय श्री शाले मोहम्मद तथा दो विषय श्री वासुदेव देवनानी ने उठाये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

समीक्ष्य सत्र के दौरान दिनांक 14 मार्च, 2011 को श्री गुलाब चन्द कटारिया ने साबरमती नदी से देवास योजना के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण पूर्ण कर उदयपुर, मातृकुण्डिया (चित्तौड़) तथा मेजा डेम (भीलवाड़ा) को पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया। जल संसाधन मंत्री श्री महिपाल मदेरणा ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया। वक्तव्य से उत्पन्न मुद्दों पर श्री गुलाब चन्द कटारिया तथा श्री देवीसिंह भाटी ने स्पष्टीकरण चाहने पर जल संसाधन मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया।

आधे घण्टे की चर्चा

समीक्ष्य सत्र के दौरान दिनांक 14 मार्च, 2011 को नया जयपुर योजना के पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल में संशोधन विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 29 (206/नगरीय विकास एवं आवासन) का उत्तर, जो दिनांक 18 फरवरी, 2011 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर श्री कालीचरण सराफ एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ ने आधे घण्टे की चर्चा उठाई। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने चर्चा का उत्तर दिया। मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर 5 सदस्यों ने स्पष्टीकरण चाहे जिनका श्री शांति कुमार धारीवाल ने उत्तर दिया।

याचिकाओं का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में 14 सदस्यों द्वारा 43 याचिकाएँ उपस्थापित की गईं। याचिका उपस्थापित करने वाले सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी के 8 सदस्यों ने 19 याचिकाएँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीन सदस्यों ने 11 याचिकाएँ, दो माकपा सदस्यों ने 10 याचिकाएँ तथा एक निर्दलीय सदस्य ने तीन याचिकाएँ उपस्थापित कीं। दो महिला सदस्याओं द्वारा भी चार याचिकाएँ उपस्थापित की गईं जिसमें से श्रीमती अन्जू खन्नावाल ने तीन याचिकाएँ उपस्थापित कीं। श्री बाबूसिंह राठौड़ तथा कर्नल सोनाराम ने सर्वाधिक 7-7 याचिकाएँ उपस्थापित कीं जबकि एक सदस्य ने 6, दो-दो सदस्यों ने 4-4, 3-3 एवं 2-2 याचिकाएँ तथा पाँच सदस्यों ने एक-एक याचिका उपस्थापित की।

सदन में अव्यवस्था

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 18 फरवरी, 2011 को राज्य में स्प्रिट की अवैध तस्करी के सम्बन्ध में पक्ष तथा प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हुई। इस दिन बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई।
2. दिनांक 23 फरवरी, 2011 को राज्य में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में मंत्री के वक्तव्य की मांग पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारेबाजी करने से सदन में अव्यवस्था हुई। सदन की बैठक आधा घण्टे के लिए स्थगित हुई।
3. दिनांक 11 मार्च, 2011 को श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री द्वारा प्रश्न संख्या 87 के उत्तर से असन्तुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में लगातार नारेबाजी किये जाने से घोर अव्यवस्था उत्पन्न हुई। सदन की बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की गई । सदन के पुनः समवेत होने पर नारेबाजी से व्यवधान जारी रहा।
4. दिनांक 15 मार्च, 2011 बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान नेता प्रतिपक्ष के विचार प्रकट करते समय गृह मंत्री के बैग में जिंदा कारतूस मिलने का जिक्र किये जाने पर गृह मंत्री द्वारा प्रत्युत्तर दिया गया। गृह मंत्री के प्रत्युत्तर के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन के वैल में आकर नारेबाजी करने से सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हुई। इस व्यवधान के कारण सदन की बैठक 6 बार आधे-आधे घण्टे के लिए तथा एक बार 15 मिनिट के लिए स्थगित की गई।

5. दिनांक 16 मार्च, 2011 को संसदीय कार्य मंत्री ने आसन से पूर्व परम्पराओं व प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने कल सदन में क्या असंसदीय शब्द कहे थे, जिन्हें कार्यवाही से विलोपित करने के आदेश प्रदान किये गये। प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा आसन की व्यवस्था को चुनौती दिये जाने के विरोध में खड़े होकर जोर-जोर से बोलने तथा बाद में वैल में आकर नारेबाजी करने के कारण व्यवधान हुआ। इस व्यवधान के कारण सदन की बैठक एक-एक घण्टे के लिए तीन बार स्थगित की गई।
6. दिनांक 17 मार्च, 2011 को सदस्य डॉ. रघु शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष ने धमकी दी है, अतः उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाये। नेता प्रतिपक्ष ने सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने की बात कही। सदन में दोनों पक्षों के अनेक सदस्यों द्वारा जोर-जोर से बोलने के कारण सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हुई तथा प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। इसके बाद वैल में नारेबाजी भी हुई। इस व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही एक-एक घण्टे के लिए तीन बार तथा आधे-आधे घण्टे के लिए दो बार स्थगित की गई।
7. दिनांक 18 मार्च, 2011 को सदन की कार्यवाही आरम्भ होते ही डॉ. रघु शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा देख लेने की धमकी के सम्बन्ध में नेता प्रतिपक्ष द्वारा माफी मांगें जाने की मांग पर सत्ता पक्ष द्वारा अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर लगातार बोलने के कारण सदन में व्यवधान हुआ तथा प्रश्नकाल नहीं हो सका। इसी दिन प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सवाई माधोपुर जिले में एस.एच.ओ. को जिन्दा जलाये जाने की घटना के विरोध में गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करते हुए वैल में आकर नारेबाजी करने से व्यवधान हुआ। इस व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही एक-एक घण्टे के लिए दो बार स्थगित की गई।
8. दिनांक 22 मार्च, 2011 को सदन की कार्यवाही आरम्भ होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा खड़े होकर तीन दिन से विधान सभा नहीं चलने देने तथा मुख्य मंत्री को सदन में नहीं बोलने देने के लिए नेता प्रतिपक्ष द्वारा माफी मांगें जाने की मांग को लेकर भारी शोरगुल होने के कारण सदन में अव्यवस्था उत्पन्न हुई तथा प्रश्नकाल नहीं हो सका। इस व्यवधान के कारण सदन की बैठक एक-एक घण्टे के लिए दो बार स्थगित की गई।
9. दिनांक 23 मार्च, 2011 को सदन की कार्यवाही आरम्भ होते ही श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत ने सदन के नेता को चार बार नहीं बोलने देने के लिए प्रतिपक्ष से खेद व्यक्त करने की मांग की तथा सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने के कारण सदन में घोर व्यवधान उपस्थित हुआ तथा प्रश्नकाल नहीं हो सका। सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी तथा व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही एक-एक घण्टे के लिए दो बार स्थगित की गई।

सदन में धरना

भारतीय कम्प्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्यों ने समीक्ष्य सत्र में दिनांक 23 फरवरी, 2011 को श्री अमराराम तथा श्री पेमाराम ने राज्य में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में मंत्री के वक्तव्य की मांग को लेकर सदन के वैल में धरना दिया।

सदन से बहिर्गमन

1. दिनांक 10 मार्च, 2011 को श्री शांति कुमार धारीवाल, गृह मंत्री द्वारा किशनगढ़ विधायक के पुत्र की हत्या के सम्बन्ध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। इसी दिन श्री एमादुद्दीन अहमद खान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में संक्रमित ग्लूकोज के कारण 15 प्रसूताओं की मौत के सम्बन्ध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मुख्य मंत्री के वक्तव्य की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।
2. दिनांक 11 मार्च, 2011 को व्यवधान के दौरान श्री शांति कुमार धारीवाल ने आसन से अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष द्वारा उन पर आसन की व्यवस्था को चुनौती देने का आरोप लगाया गया है, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि आप विधान सभा की कार्यवाही देख लें, उसमें एक शब्द भी अपमानजनक निकले तो वे माफी मांगने को तैयार हैं, अन्यथा इनको माफी मांगने के लिए पाबन्द किया जाना चाहिए। इस पर प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती वसुन्धरा राजे ने प्रतिपक्ष के शेष दिन की कार्यवाही से बहिर्गमन की घोषणा की।
3. दिनांक 14 मार्च, 2011 को नगरीय विकास तथा आवासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल द्वारा नया जयपुर योजना के पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल में संशोधन किये जाने से सम्बन्धित आधे घण्टे की चर्चा में दिये गये उत्तर से असन्तुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र के दौरान राजकीय उपक्रम समिति के 34, जन लेखा समिति के 16, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के 5, कार्य सलाहकार समिति के 4, प्राक्कलन समिति 'ख' के 3, याचिका समिति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति एवं महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 2-2 तथा प्राक्कलन समिति'क', अनुसूचित जनजाति कल्याण सम्बन्धी समिति, अनुसूचित जाति कल्याण सम्बन्धी समिति एवं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के एक-एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गये।

वित्तीय कार्य

(क) अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 14 मार्च, 2011 को मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2010-2011 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन किया। आसन द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2011 को मुखबंद का प्रयोग कर अनुपूरक अनुदान की मांगें पारित की गईं।

(ख) आय-व्ययक अनुमान का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 9 मार्च, 2011 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012 का उपस्थापन किया। आय-व्ययक पर चार दिन सामान्य वाद-विवाद हुआ जिसमें 61 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। बहस के प्रथम दिन दिनांक 10 मार्च, 2011 को 15; 11 मार्च, 2011 को 9; 14 मार्च, 2011 को 20 तथा 15 मार्च, 2011 को 17 सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 15 मार्च, 2010 को सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चर्चा का उत्तर सदन की मेज पर रखा। सामान्य वाद-विवाद में भारतीय जनता पार्टी के 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 29, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के तीन तथा समाजवादी पार्टी एवं निर्दलीयों में से एक-एक सदस्य ने भाग लिया। चर्चा में 15 महिला सदस्यों ने भी भाग लिया जिसमें भाजपा तथा इनेकां की क्रमशः 7-8 थीं।

(ग) अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण

समीक्ष्य सत्र में निम्नलिखित अनुदान की मांगों पर सदन में विचार एवं मतदान हुआ और शेष मांगों को 23 मार्च, 2011 को मुखबंद का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा पारित किया गया। सदन में लगातार व्यवधान के कारण कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के अनुसार पूर्व निर्धारित कार्यवाही में संशोधन किया गया।

मांग संख्या	विभाग	तिथि	कटौती प्रस्ताव	सदस्य संख्या, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया
46	सिंचाई (इ.गा.न.प. सहित)	16.3.2011	187	व्यवधान
27	पेयजल	16.3.2011	309	व्यवधान
37	कृषि	17.3.2011	198	व्यवधान
39	पशुपालन एवं चिकित्सा (डेयरी)	17.3.2011	180	व्यवधान
32	नागरिक आपूर्ति	17.3.2011	155	व्यवधान
28	ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	18.3.2011	161	व्यवधान
41	सामुदायिक विकास	18.3.2011	46	व्यवधान
50	ग्रामीण रोजगार	18.3.2011	92	व्यवधान
16	पुलिस	22.3.2011	273	व्यवधान
17	कारागार	22.3.2011	126	व्यवधान
33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22.3.2011	124	व्यवधान

विधायी कार्य

(क) वित्तीय समितियों का गठन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 23 मार्च, 2011 को सरकारी मुख्य सचेतक श्री वीरेन्द्र बेनीवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जिसमें चारों वित्तीय समितियों के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था,

पर एक अन्य प्रस्ताव द्वारा माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त किया गया कि वे इन समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाये जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, के अनुसार सदस्यों का मनोनयन करें। इससे पूर्व दिनांक 22 मार्च, 2011 को सरकारी मुख्य सचेतक ने उक्त समितियों के गठन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया था जिसे पारित किया गया।

(ख) अध्यादेश

समीक्ष्य सत्र में 15 फरवरी, 2011 को अग्रांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये -

1. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (वर्ष 2010 का अध्यादेश संख्या 1)
2. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (वर्ष 2010 का अध्यादेश संख्या 2)
3. रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अध्यादेश, 2010 (वर्ष 2010 का अध्यादेश संख्या 3)
4. राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अध्यादेश, 2010 (वर्ष 2010 का अध्यादेश संख्या 4)
5. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (वर्ष 2010 का अध्यादेश संख्या 5)
6. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2010 (वर्ष 2010 का अध्यादेश संख्या 6)
7. राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्या 1)

(ग) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
06/2011	राजस्थान वित्त विधेयक, 2011	9.3.2011	23.3.2011	23.3.2011
01/2011	राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011	10.3.2011	23.3.2011	23.3.2011
02/2011	राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011	10.3.2011	23.3.2011	23.3.2011

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
03/2011	राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011	10.3.2011	23.3.2011	23.3.2011
07/2011	राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011	10.3.2011	23.3.2011	23.3.2011
08/2011	रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011	14.3.2011	22.3.2011	22.3.2011
09/2011	राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011	14.3.2011	23.3.2011	23.3.2011
10/2011	राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011	14.3.2011	23.3.2011	23.3.2011
11/2011	राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011	14.3.2011	23.3.2011	23.3.2011
12/2011	राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन)(संशोधन) विधेयक, 2011	14.3.2011	22.3.2011	22.3.2011
13/2011	राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011	14.3.2011	23.3.2011	23.3.2011
14/2011	राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011	14.3.2011	23.3.2011	23.3.2011
16/2011	राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011	15.3.2011	22.3.2011	22.3.2011
15/2011	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011	16.3.2011	18.3.2011	18.3.2011
04/2011	राजस्थान विनियोग (संख्या -1) विधेयक, 2011	18.3.2011	18.3.2011	18.3.2011
05/2011	राजस्थान विनियोग (संख्या -2) विधेयक, 2011	23.3.2011	23.3.2011	23.3.2011

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य सत्र में सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

नाम	पद	निधन की तिथि
	[15.02.2011]	
1. श्री भीमसेन जोशी	भारत रत्न	24.01.2011
2. श्री बलिराम भगत	पूर्व लोक सभा अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यपाल, राज.	02.01.2011
3. श्री गोपाल सिंह भाद्राजून	पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा	21.12.2010
4. श्री हीरासिंह चौहान	पूर्व उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा	25.11.2010
5. श्री महावीर प्रसाद	पूर्व राज्यपाल, हरियाणा	28.11.2010
6. श्री सिद्धार्थ शंकर राय	पूर्व मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल व पूर्व राज्यपाल, पंजाब	06.11.2010
7. श्री के. करुणाकरण	पूर्व मुख्य मंत्री, केरल	23.12.2010
8. श्री औंकारलाल चौहान	पूर्व सांसद, दूसरी लोक सभा एवं पूर्व मंत्री पूर्व सदस्य, 5 एवं 6 राजस्थान विधान सभा	10.10.2010
9. श्री लालजी भाई मीणा	पूर्व सांसद, पाँचवीं एवं छठी लोक सभा	05.09.2010
10. श्री केसरलाल	पूर्व सांसद, तीसरी लोक सभा	13.01.2011
11. श्री श्रीकिशन मोदी	पूर्व सांसद, पाँचवीं लोक सभा	22.11.2010
12. श्री नरेन्द्र सिंह भाटी	पूर्व मंत्री एवं पूर्व सदस्य, 7, 8, 10 एवं 11वीं राजस्थान विधान सभा	08.09.2010
13. श्री अब्दुल हादी	पूर्व सदस्य, 1, 4, 5, 6, 8, 9 एवं 11वीं राजस्थान विधान सभा	06.11.2010
14. श्री मनफूल राम	पूर्व सदस्य, 4, 5, 6, 7 एवं 8वीं राज. विधान सभा	11.10.2010
15. श्री सूर्यप्रकाश	पूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा	09.09.2010
16. श्रीमती नारंगी देवी	पूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा	17.12.2010
17. श्री रामजीलाल	पूर्व सदस्य, पाँचवीं राजस्थान विधान सभा	19.09.2010

केरल के इदुक्की जिले में स्थित शबरीमाला मंदिर में मची भगदड़ (दिनांक 14.1.2011) के मृतकों के प्रति संवेदना।

	[10.3.2011]	
18. श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई	पूर्व प्रधानमंत्री, नेपाल	04.03.2011
19. श्री अर्जुन सिंह	पूर्व राज्यपाल, पंजाब एवं पूर्व मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश	04.03.2011
20. श्री महबूब अली	पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा	23.02.2011
	[15.3.2011]	
21. श्री दीपचन्द कस्वां	पूर्व सदस्य, 7वीं राजस्थान विधान सभा	12.03.2011

जापान के सेंदई क्षेत्र में आये भूकम्प तथा इसके पश्चात् आयी सुनामी (दिनांक 11.3.2011) के मृतकों के प्रति संवेदना।

✧✧✧